संख्या–1363 / पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त निदेशक / प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
   जिला स्तरीय चिकित्सालय, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
3. प्रधानाचार्य / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
   समस्त राजकीय / निजी मेडिकल कालेज, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग– 5 लखनऊः दिनांकः 08 जुलाई, ~~जून,~~ 2020

विषयः–कोविड समर्पित ईकाइयों में कोविड–19 धनात्मक रोगियों के संदर्भन के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में कोविड–19 के रोगियों के सफल उपचार प्रबन्धन के लिए प्रभावी संदर्भन प्रकिया का अनुसरण किया जाना आवश्यक है, जिससे एक स्तर की चिकित्सा ईकाई में रोगी हेतु तात्कालिक रूप से आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में रोगी को उच्च स्तर की चिकित्सा ईकाई में संदर्भित कर बेहतर उपचार परिणाम प्राप्त किया जा सके।

2– तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एक स्तर की कोविड समर्पित ईकाई से दूसरे स्तर की कोविड समर्पित ईकाई में कोविड–19 रोगियों के प्रभावी संदर्भन के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं–

क. निम्नलिखित परिस्थितियों में कोविड रोगी को लेवल–1 से लेवल–2 कोविड समर्पित ईकाई में संदर्भित किए जाने का निर्णय ऑन–ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा–

1- SARI से ग्रसित होना जिसे वेन्टीलेटर की आवश्यकता हो।
2- लक्षणयुक्त रोगी का अन्य गंभीर रोगों (Co-morbidity) से ग्रसित होना।
3- रोगी के आक्सीजन–संतृप्तीकरण का स्तर 90 से 94 प्रतिशत के बीच होना।

ख. निम्नलिखित परिस्थितियों में कोविड रोगी को लेवल–2 से लेवल–3 कोविड समर्पित ईकाई में संदर्भित किए जाने का निर्णय ऑन–ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा–

1. रोगी के आक्सीजन–संतृप्तीकरण का स्तर 90 प्रतिशत से कम होना।
2. Respiratory failure होना।
3. Sepsis, Shock अथवा Multiorgan failure होना।
4. आवश्यकतानुसार चिकित्सा ईकाई में Super-specialist की अनुपलब्धता।

ग. प्रसव एवं नवजात के कोविड–19 धनात्मक चिन्हित होने पर आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार निकटतम केन्द्र पर संदर्भित किए जाने का निर्णय ऑन–ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा।

घ. कोविड के रोगियों के संदर्भन में निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा–

क्र0 सं0	गतिविधि	उत्तरदायित्व
1.1	चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं से रोगी का यथोचित उपचार सम्भव नहीं है अतः उच्च स्तर की ईकाई में संदर्भन किया जाना आवश्यक है। संदर्भन से पूर्व, रोगी की स्थिति को स्थिर करने के प्रयास किए जाएंगे।	ऑन ड्यूटी चिकित्सक

go pankaj sir

1.2	कोविड–19 रोगी को संदर्भित करने का निर्णय इस शासनादेश के बिन्दु संख्या–1, 2 एवं 3 के आधार पर ऑन ड्यूटी चिकित्सक के द्वारा किया जाएगा और साथ ही, रोगी के परिजनों को सूचित किया जाएगा।	ऑन ड्यूटी चिकित्सक
1.3	संदर्भन हेतु चिकित्सालय का चयन रोगी की तात्कालिक स्थिति, उपचार की आवश्यकता, चिकित्सा ईकाइयों की मैपिंग तथा संदर्भन में लगने वाले समय के आधार पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाना।	चिकित्सा अधिकारी
1.4	संदर्भित चिकित्सा ईकाई को संदर्भन करने वाली ईकाई के द्वारा दूरभाष के माध्यम से रोगी के संदर्भन की पूर्व सूचना प्रदान किया जाना।	चिकित्सा अधिकारी
1.5	चालक को एंबुलेंस तैयार रखने एवं रोगी का विवरण ई0एम0टी0 को सौंपना।	स्टाफ नर्स/ फार्मासिस्ट
1.6	डायग्नोसिस, प्रदत्त उपचार, संदर्भन का कारण, संदर्भन करने वाले चिकित्सक के विवरण वाली संदर्भन–स्लिप, कन्सेन्ट फार्म तैयार करना।	स्टाफ नर्स/ फार्मासिस्ट
1.7	कोविड–19 रोगी का प्रबंधन– • रोगियों के SpO2 सहित अन्य Vitals को मापें और सुनिश्चित करें कि रोगी स्थिर है। • यदि आवश्यक हो तो SpO2 का निश्चित स्तर बनाए रखने के लिए पूरक ऑक्सीजन थेरेपी दें। •यदि रोगी को उच्चकेंद्र के वेंटिलेटर पर ले जाया जा रहा है तो ई0एम0टी0 के द्वारा वेंटिलेटर प्रबंधन के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, जिसके लिये ईएमटी का प्रशिक्षित होना आवश्यक है या वेंटिलेटर में निपुण चिकित्सक के द्वारा सहायता प्राप्त किया जाएगा।	चिकित्सा अधिकारी/ई0 एम0टी
1.8	• एम्बुलेन्स के संदर्भित चिकित्सालय में पहुँचने पर ई0एम0टी0 द्वारा रोगी तथा रोगी से सम्बन्धित समस्त चिकित्सीय विवरण सौपा जाएगा। • संदर्भन के दौरान उत्पन्न बायोमडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। • पुनः प्रयोज्य उपकरणों को एल्कोहल आधारित विलयन से साफ एवं विसंक्रमित किया जाएगा एवं उसके पश्चात ही एम्बुलेन्स का पुनः प्रयोग किया जाएगा।	ई0एम0टी
1.9	निम्नलिखित बिन्दुओं पर ई0एम0टी0, पैरामेडिकल्स एवं चालक का क्षमता संवर्धन किया जाएगा– • संदर्भन के समय एम्बुलेन्स में कोविड रोगियों का प्रबन्धन। • संदर्भन के समय पी0पी0ई0 का समुचित उपयोग। • संक्रमण रोकथाम प्रोटोकॉल का अनुपालन। • बायोमडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण।	जिलास्तरीय संक्रमण रोकथाम समिति।

go pankaj sir

ङ. संदर्भन करते समय संदर्भन का पूर्ण विवरण dgmh.gov.in/en/referral पर भरा जाएगा। उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
8.7.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1363(1)/पांच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
08/07/2020
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।